भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3317

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2014/21 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

श्रम कानूनों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट

3317. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनियों/कारपोरेट घरानों के लिए उनके द्वारा श्रम कानूनों के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट का आवधिक अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह किस प्रकार किया जा रहा है; और
(ग) ऐसी कंपनियों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त अनुपालन रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन चूककर्ता कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग) : कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अधीन कंपनियों द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रारों या कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन अन्य कार्यालयों में किसी प्रकार की रिपोर्ट दायर करना अपेक्षित नहीं है।

*****